

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 16/2015

संस्थित दिनांक-17/03/2015

फाइलिंग नंबर-230303020862015

मुन्नालाल पुत्र भगवादास माहौर, आयु 54 साल

निवासी ग्राम बिरखडी हाल संतोष नगर,

वार्ड नंबर-5, गोहदअपीलार्थी/आरोपी

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा,

जिला-भिण्ड (म0प्र0).....प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक

आरोपी/अपीलार्थी द्वारा श्री एस0एस0 श्रीवास्तव अधिवक्ता

न्यायालय-कुमारी शैलजा गुप्ता, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक

प्रकरण क्रमांक-279/2009 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 25/02/14

से उत्पन्न दांडिक अपील ।

--:- निर्णय --:-

(आज दिनांक 16 जनवरी 2017 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 279/2009 निर्णय दिनांक-25/02/2014 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा-323, 506-बी भा0दं0सं0 के अपराध में छः-छः माह के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विचाराधीन प्रकरण के आहत राघवेन्द्र के ताउ अशोक शर्मा के विरुद्ध आरोपी/अपीलार्थी की रिपोर्ट पर से अपराध क्र0-62/2009 थाना गोहद चौराहा पर धारा-294, 323, 190, 341 भा.दं. वि0 सहपठित धारा- 3(1)(10) एस.सी.एस.पी. एक्ट के तहत पंजीबद्ध हुआ था जिसकी एफ आई आर इस अपराध के करीब पांच घण्टे पूर्व पंजीबद्ध हुई थी । यह भी स्वीकृत है कि आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल की ओर से पंजीबद्ध करायी गयी रिपोर्ट पर से विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटी, भिण्ड में विशेष सत्र प्रकरण क्र0-85/2009 चला था जिसमें दि0-17/01/2012 को पारित निर्णय अनुसार आहत राघवेन्द्र के ताउ अशोक कुमार शर्मा को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया था जिसकी माननीय उच्च न्यायालय में दांडिक अपील विचाराधीन हैं । यह भी स्वीकृत है कि आहत राघवेन्द्र साक्षी धर्मेन्द्र एवं अशोक एक ही कुटुम्ब के होकर रिश्ते के साक्षी हैं। यह भी स्वीकृत है कि उभयपक्ष के खलियान एक दूसरे के पास

लगे हुए हैं और एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-25/07/2009 को शाम करीब 06 बजे फरियादी राघवेन्द्र अन्य लडकों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, फरियादी की बॉल अभियुक्त मुन्नालाल कोरे के खलियान में चली गयी, फरियादी बॉल लेने के लिए आरोपी के खलियान में गया और वापिस आ रहा था, तब अभियुक्त ने फरियादी को आगे से रोककर कहा कि "मादरचोद हमारे खलियान में माँ चुदाने क्यों आते हो" फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके मुंह में डण्डा मारा जिससे उसके होंठ में खून निकल आया तथा अभियुक्त के मुंह में डण्डा मारा जिससे उसके होंठ में खून निकल आया तथा अभियुक्त ने फरियादी की लातघूसों से मारपीट की । फरियादी के चिल्लाने पर उसका ताउ अशोक शर्मा मौके पर आ गया और बचाव किया तथा आरोपी ने कहा कि मादरचोद आज तो बचा लिया, आईदा खलियान में बॉल आई तो जान से मार दूंगा। फरियादी ने उक्त संबंध में सूचना थाना गोहद चौराहा पर दी जिसपर से अपराध क्र0-63/2009 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-1 लेखबद्ध कर गयी। एवं मामला विवेचना में लिया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी को धारा-341, 294, 323, 506-बी भा.द.वि. के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपी को धारा-341, 294 भा.द.वि. के अपराध में दोषमुक्त किया गया एवं धारा-323, 506-बी भा0द0सं0 के अपराध में दोषी पाते हुए छः-छः माह के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।
5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील में मूलतः यह आधार लिया है, कि एफ.आई.आर. बिलंबित है और आरोपी/अपीलार्थी द्वारा जो मुन्नालाल द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर से थाना गोहद चौराहे पर अपराध क्रमांक 62/09 धारा- 341, 323, 294 भा.द.वि. एवं धारा-3(1)(10) एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत अशोक के विरुद्ध कायमी हुई थी, जिससे बचने के लिए झूठी घटना बनाते हुए, अशोक द्वारा अपने भतीजे राघवेन्द्र से रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो पांच घंटे बिलंबित है, और साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है, तथा राघवेन्द्र, धर्मेन्द्र और अशोक एक ही परिवार के साक्षी होकर हितबद्ध है तथा हितबद्धता के कारण उन्होंने झूठे कथन दिए हैं, चिकित्सक द्वारा भी राघवेन्द्र की चोटें स्वकारित तथा गिरने से आने की संभावना व्यक्त की है, आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल को भी चोटें आई थीं उसकी चोटों का अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तथा साक्षी धर्मेन्द्र घटना के समय बाहर था, जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास करके गंभीर विधिक त्रुटि की है तथा घटना फरियादी अपने खलियान में बताता है, जबकि नक्शा मौका मुताबिक आरोपी के खलियान में बताई गई है, अधीनस्थ न्यायालय ने घटनास्थल पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है, और राघवेन्द्र जिन लडकों के साथ क्रिकेट खेल रहा था,

उनमें से कोई साक्षी नहीं है, आरोपी/अपीलार्थी से कोई हॉकी या लाठी, डंडा बरामद नहीं हुआ है और अभियोजन का पूरा मामला सदिग्ध है, आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल द्वारा जो रिपोर्ट अशोक के विरुद्ध लिखाई गई थी, उसमें विशेष न्यायालय भिण्ड ने अशोक को दोषसिद्ध किया है, तथा विशेष न्यायालय भिण्ड द्वारा प्र.डी.-03 के निर्णय में कण्डिका 10 में राघवेन्द्र की रिपोर्ट, मुन्नालाल की रिपोर्ट के बचान में तीन घंटे बिलंब से लिखाई जाना माना है, जिसे भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचार में नहीं लिया है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व दोषसिद्धि अवैध होकर निरस्ती योग्य है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय निरस्त किया जाकर आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल को धारा-323 और 506 भाग-02 भा.द.वि. से दोषमुक्त किया जाए।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपीग के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है?

--- निष्कर्ष के आधार ---

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

8. आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने विस्तृत मौखिक तर्कों में मूलतः अपील ज्ञापन में लिये गये आधारों अनुरूप तर्क करते हुए यह व्यक्त किया है कि आहत राघवेन्द्र उसका चचेरा भाई धर्मेन्द्र ओर ताउ अशोक रिश्ते के साक्षी होकर हितबद्ध हैं तथा हितबद्धता के कारण उन्होंने आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया है जिसपर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया और उनके कथनों में विसंगतियां भी है इसके बाद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षियों पर विश्वास कर दोषसिद्ध पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है और आहत की चोटों का चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन नहीं हैं और चिकित्सक ने आहत की चोट स्वकारित होने की संभावना भी व्यक्त की है आहत राघवेन्द्र को अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते में लग गयी और अशोक के विरुद्ध जो अपराध आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल की रिपोर्ट पर से पंजीबद्ध हुआ था उसके बचाव में झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। एफ आई आर विलंब की है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। तथा घटनास्थल भी भिन्नतापूर्ण बताया गया है। घटना के समय पर भी विरोधाभास है और धर्मेन्द्र मौके पर नहीं था, अशोक भी बाद में पहुंचा उन्हें चक्षुदर्शी मानकर विद्वान अधीनस्थ ने जो दोषसिद्धी मानते हुए जो दण्डाज्ञा दी है वह विधि के सिद्धांत के प्रतिकूल है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल को दोषसिद्ध अपराधों से दोषसिद्ध किया जावे और उसके द्वारा जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे।

9. राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए इस आशय का तर्क किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षियों के कथनों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए विधि संगत निष्कर्ष निकाले हैं और प्रत्येक बिन्दु का स्पष्टीकरण दिया है इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय को स्थिर रखे जाने योग्य प्रकरण है, जिन विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित किया है, वे स्वाभाविक हैं तथा चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन हैं रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर किसी भी साक्षी को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है इसलिये प्रस्तुत दाण्डिक अपील में विधिक बल नहीं है। इसलिये अपील निरस्त की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की आलोच्य दण्डाज्ञा को यथावत रखते हुए आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल को दण्डाज्ञा भुगताये जाने के लिए जेल भेजा जावे।
10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मूल अभिलेख के अवलोकन से यह विदित है कि आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध धारा-323, 341, 294, 506-बी भा.दं.वि० के तहत आरोप विरचित कर विचारण किया गया था, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय आलोच्य निर्णय दि०-25/02/2014 अनुसार धारा-341, 294 भा.दं.वि० में अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया है और धारा-323 एवं 506 बी भा.दं.वि० में दोषसिद्ध ठहराते हुए दोनों अपराधों के लिए 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं पांच पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है जिससे विक्षुप्त होकर उक्त दाण्डिक अपील पेश की गयी है।
11. मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित है कि घटना के आहत राघवेन्द्र शर्मा द्वारा दि०-25/04/2009 को थाना गोहद चौराहा पर आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज करायी गयी प्र.पी.-1 की एफ आई आर मुताबिक जो मूल घटना बतायी गयी उसके अनुसार शाम करीब 06 बजे वह अन्य लडकों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और उनकी गेंद आरोपी/अपीलार्थी के खलियान में चली गयी थी, वह गेंद लेने के लिए खलियान में गया और जब गेंद लेकर वापिस आया तो सामने से उसे आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल मिला, गालियां दी, मना करने पर उसके मुंह में डण्डा मारा जो मुंह में लगा तथा उसे पटककर लात घूँसों से मारपीट की, चिल्लाने पर उसके ताउ अशोक शर्मा ने आकर उसे बचाया, तत्पश्चात खलियान में गेंद आने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसकी राघवेन्द्र द्वारा रात 11:10 बजे रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। इस प्रकार प्र.पी.-1 की एफ आई आर मुताबिक घटना का अशोक शर्मा मौके का साक्षी बताया गया है, एफ आई आर में बिलंव से रिपोर्ट करने का कारण फरियादी के भाई का घर पर ना होना बताया गया है। और एफ आई आर दूसरे ताउ के लडके धर्मेन्द्र के साथ जाकर दर्ज करायी गयी। अर्थात् धर्मेन्द्र मौके पर मूल घटना के समय नहीं था, इसे आगे विश्लेषण में देखना होगा क्यों कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में चिकित्सक के अलावा राघवेन्द्र व उसका ताउ अशोक एवं चचेरा भाई धर्मेन्द्र ही परीक्षित कराये गये हैं। जिन लडकों के साथ राघवेन्द्र क्रिकेट खेल रहा था उनमें से कोई भी साक्षी ना तो अनुसंधान के दौरान बनाया गया, ना ही एफ आई आर में उल्लेखित है, ऐसे में परीक्षित अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य का

अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि चिकित्सक को छोड़कर शेष साक्षी हितबद्ध श्रेणी के हैं तथा एफ आई आर में अशोक की मौजूदगी मौके पर बतायी गयी है उसके विरुद्ध स्वीकृत तौर पर आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के द्वारा मारपीट, गाली गलौच धमकी की रिपोर्ट अनुसूचित जाति का होने के आधार पर करायी गयी थी और उसमें अशोक दोषसिद्ध भी हो चुका है और अभी उसकी दोषसिद्धी का निर्णय अस्तित्व में है। हालांकि यह सही है कि किसी भी साक्षी पर केवल रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, किन्तु जहां परिस्थितियां यह इंगित करती हो कि साक्षी हितबद्धता के कारण ही बना है, वहां उक्त सिद्धांत अभियोजन के लिए लाभकारी नहीं होगा।

- 12.** परीक्षित साक्षियों में से सर्वप्रथम चिकित्सीय अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन किया जाये तो डाक्टर आलोक शर्मा अ०सा.-3 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में घटना दि०-25/04/2009 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर रहते हुए आहत राघवेन्द्र की चोटों का परीक्षण कर प्र.पी.-3 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना उनके द्वारा बताया गया है और परीक्षण करने पर आहत राघवेन्द्र के निचले होठ पर एक फटा घाव 0.8 गुणित 0.3 गुणित 0.2 से०मी० का चोट क०-1 के रूप में पाया था, चोट क०-2 के रूप में पीठ में बांये बखा के नीचे 03 गुणित 1.5 से.मी. का नीलगू निशान पाया गया, अन्य कोई चोट चिकित्सक द्वारा नहीं पायी गयी। चिकित्सीय अभिमत मुताबिक किसी सख्त व भौथरी वस्तु की होकर साधारण होकर परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की थी। प्र.पी.-3 मुताबिक आहत राघवेन्द्र का परीक्षण घटना दि० को रात 11:30 बजे होना दर्शित है, एफ आई आर के करीब 20 मिनट बाद चिकित्सीय परीक्षण हुआ, घटना शाम 06 बजे की बतायी गयी है, अर्थात् आहत की चोटें 06 घण्टे के भीतर की होना चाहिये थी, किन्तु चिकित्सक ने 12 घण्टे के भीतर की बतायी हैं, हालांकि बचाव पक्ष द्वारा कोई सुझाव देकर यह स्पष्टीकरण नहीं लिया है कि क्या चोटें 06 से 12 घण्टे की अवधि की या 0 से 06 घण्टे की अवधि की हो सकती है, ऐसी स्थिति में चिकित्सीय राय मुताबिक चोटें 0 से 12 घण्टे की प्र.पी.-3 मुताबिक आंकलित होगी, जिसके आधार पर आहत राघवेन्द्र की चोटें बतायी गयी घटना की ही होना संभावित हैं। चिकित्सक से पूछे गये प्रश्नों में यह संभावना अवश्य प्रकट की गयी है कि आहत राघवेन्द्र को चोटें गिरने से आना संभव है और उसकी पहुंच के भीतर होने से स्वकारित भी हो सकती हैं। किन्तु स्वकारित होने के संबंध में आहत राघवेन्द्र अ.सा.-1 को कोई सुझाव नहीं दिया गया। किस प्रकार के सख्त व भौथरे हथियार से आ सकती है इस बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है। चिकित्सक की अभिसाक्ष्य में इस आशय की अभिसाक्ष्य अवश्य आयी है कि उक्त दि० को उकने द्वारा आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल की चोटों का परीक्षण किया गया था और प्र.डी.-2 की एम एल सी रिपोर्ट तैयार की गयी थी। जिससे यह तो स्पष्ट होता है कि घटना दि० को आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल भी चोटिल हुआ था, किन्तु उसके मामले में पूर्व से ही निराकरण हो चुका है इसलिये उसके संबंध में कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह अवश्य देखना होगा कि जो चोटें प्र.पी.-3 मुताबिक राघवेन्द्र को पायी गयी, क्या वे आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के द्वारा ही स्वेच्छापूर्वक पहुंचायी गयी थी? तभी दोषसिद्धी को स्थिर रखा जा सकता है और यह बिन्दु प्रत्यक्ष साक्ष्य व परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकित करना होगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में निकाले गये

निष्कर्षों मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के द्वारा स्वेच्छा से पहुंचाये जाने को निष्कर्षित किया है।

- 13.** सर्वप्रथम आहत राघवेन्द्र के अभिसाक्ष्य को मूल्यांकित किया जाये तो राघवेन्द्र अ.सा.-1 मुताबिक वह मुन्नालाल के खलियान के पास क्रिकेट खेल रहा था उसके साथ विक्रम, अन्नू, राहुल, विकेश, हरकेश, विपिन, मोनू आदि भी खेल रहे थे। और कथानक मुताबिक खेल के दौरान की घटना बतायी गयी है, ऐसे में उक्त क्रिकेट खेल रहे लड़कों में से किसी व्यक्ति का साक्षी ना होना आहत के अभिसाक्ष्य को गंभीरता से और सूक्ष्मता से देखे जाने योग्य होता है। क्योंकि जिन लोगों के साथ उसका क्रिकेट होना बताया गया, वे सभी जीवित होना उसने कहा है और एफ आई आर मुताबिक अशोक उस समय पहुंचा जब राघवेन्द्र को मुंह में चोट आ चुकी थी और उसे पटककर मारपीट की जा रही थी। ऐसे में मुंह में चोट मारते हुए अशोक के द्वारा न देखा जाना प्रकट होता है।
- 14.** प्र.पी.-1 मुताबिक घटना उस समय हुई, जब आहत राघवेन्द्र अन्य लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने के दौरान आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के खलियान में गेंद चली गयी थी और वह उसके उठाकर लौट रहा था, जबकि स्वयं राघवेन्द्र का मुख्य परीक्षण में ही इसके विपरीत यह अभिसाक्ष्य आया है कि क्रिकेट खेलते समय उससे मुन्नालाल द्वारा यह कहा गया था कि उसके खेंद में यदि गेंद आयी तो वह मार डालेगा। जो दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और घटनाक्रम को ही संदेहास्पद बना देती हैं क्योंकि न्यायालयीन अभिसाक्ष्य मुताबिक गेंद आरोपी के खलियान में नहीं गयी उसके पहले ही विवाद हुआ और मारपीट की गयी। इस बिन्दु पर दूसरे साक्षी धर्मेन्द्र अ.सा.-2 को देखा जाये तो वह अ.सा.-1 के अभिसाक्ष्य से भिन्न प्र.पी.-1 की एफ आईआर अनुरूप यह साक्ष्य देता है कि गेंद आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के खलियान में चली गयी थी तो मुन्नालाल ने राघवेन्द्र से गाली गलौच की थी और मना करने पर डण्डे से मारा था जिससे सिर में और ऊपर के होंट तथा माथे में व हाथ में चोटें आयी थी, जबकि धर्मेन्द्र घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना कथानक में नहीं बताया गया है और वह न्यायालयीन अभिसाक्ष्य चक्षुदर्शी साक्षी की तरह दे रहा है, इस बिन्दु को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तार पूर्ण उल्लेखित नहीं किया है। प्र.पी.-3 की एम एल सी की चोटें और अ.सा.-2 द्वारा बतायी गयी चोटें बिल्कुल भिन्न हैं अर्थात् जिन चोटों को धर्मेन्द्र आना बता रहा है उन चोटों का चिकित्सीय साक्ष्य से कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि सिर माथे, हाथ व ऊपरी होंट में कोई चोट राघवेन्द्र को नहीं पहुंची, बल्कि प्र.पी.-3 अनुसार निचले होंट में फटा हुआ घाव आया है, जिसकी पुष्टि अ.सा.-2 नहीं करता है। वह अशोक के अलावा उसके पिता अर्थात् धर्मेन्द्र के पिता सुरेन्द्र का भी मौके पर आना बताता है, जबकि ऐसा अन्य कोई साक्षी नहीं बताता है। प्रतिपरीक्षा में अ.सा.-2 ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब घटना घटित हुई थी उस समय वह मौके पर नहीं था, क्योंकि वह घटना अपने खलियान में घटित होना बताता है और यह स्वीकार करता है कि घटना घटित होने के 10-5 मिनट बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा था। एक ओर वह राघवेन्द्र का अपने खलियान में क्रिकेट खेलना बताता है दूसरी ओर शासकीय जगह बताता है। उसका पुलिस कथन प्र.डी.-1 मुताबिक उसे घटना का अनुश्रुत साक्षी बताया गया है। क्योंकि प्र.डी.-1 मुताबिक वह घटना दि0 को अपनी ससुराल ग्राम रनगवां गया था और रात करीब 9 बजे घर आया था तब उसे राघवेन्द्र ने घटना सुनायी थी,

जबकि न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में वह ससुराल जाने की बात से इंकार करते हुए पुलिस को प्र.डी.-1 का ए से ए भाग लिखाने से इंकार करता है। और वह बाद में मौके पर पहुंचा हुआ साक्षी के रूप में अपनी उपस्थिति बताता है। अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी भी इस बिन्दु पर घोषित नहीं जिसमें वह अनुश्रुत साक्षी होने से इंकार कर रहा है, ऐसे में अ.सा.-2 के अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है।

15. राघवेन्द्र अ.सा.-1 मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल द्वारा उसके मुंह में डण्डा मारा गया था, जैसा कि धर्मेन्द्र अ.सा.-2 भी कहता है किन्तु घटना का चक्षुदर्शी साक्षी और आहत का निकट संबंधी ताऊ अ.सा.-4 आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के खलियान में गेंद चले जाने पर आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल द्वारा उसे हॉकी से मारपीट करना बताता है। और इस बिन्दु पर अभियोजन द्वारा अशोक को पक्षविरोधी घोषित कर सुझाव दिये जाने पर वह पुलिस को दिये कथन प्र.पी.-4 में मुन्नालाल के द्वारा राघवेन्द्र के मुंह में डण्डा मारने की बात स्वीकार करता है। उक्त तीनों ही साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे निचले होंट में जो चोट आयी है वह हॉकी या डण्डा किसके मारने पर पहुंची, क्योंकि यदि निचले होंट पर ही चोट हॉकी या डण्डा जैसे सख्त भौथरी वस्तु से पहुंचायी तो वह सामने से ठूँसा के रूप में मारने पर आ सकती है या दांये या बांये तरफ से घुमाकर मारने पर संभावित है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि क्रिकेट खेलते समय गेंद उछलकर होंट में लगी हो या दौड़ते भागते होंट में लगी हो, चिकित्सक ने भी गिरने से आने व स्वकारित करने की संभावना व्यक्त की है ऐसे में परिस्थितियां गेंद उछलकर लगने या गिरने से चोट आने की संभावना को अधिक बल देती क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा से मारा जाता तो फिर लाठी, डण्डा या हॉकी का केवल एकल प्रहार नहीं होता और लात घूँसों से भी पटककर मारा जाता तो शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आना चाहिये थी, केवल बांये बखा के नीचे एक नीलगू निशान की चोट आना स्वेच्छा उपहतियां कारित करने की परिस्थितियों को संदेहास्पद बनाती है। यह उस स्थिति में अधिक प्रबल हो जाता है जब आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल की ओर से रिपोर्ट पूर्व में हुई, ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क बल रखता है कि अशोक के विरुद्ध जो मामला दर्ज हुआ उसके बचाव में राघवेन्द्र को खेलने में आयी चोट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

16. एफ. आई. आर. के बिलंब के संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य की स्थिति है, उसे देखा जाए तो प्र.पी.-01 मुताबिक रिपोर्ट में बिलंब का कारण फरियादी के भाई का घर पर न होना बताया गया है, जबकि प्र.पी.-01 की रिपोर्ट लिखाने राघवेन्द्र का सगा भाई नहीं गया बल्कि ताऊ का लडका धर्मेन्द्र गया, इससे भी धर्मेन्द्र अ.सा.-02 के चक्षुदर्शी साक्षी होने का खण्डन हो जाता है, यदि यह मान लिया जाए कि राघवेन्द्र धर्मेन्द्र की प्रतीक्षा में देरी से रिपोर्ट को गया तो धर्मेन्द्र अ.सा.-02 के मुताबिक तो वह अपनी ससुराल गया ही नहीं था, उसके पुलिस कथन प्र.डी.-01 मुताबिक रात 09:00 बजे घर आ गया, फिर राघवेन्द्र ने उसे घटना सुनाई उसके बाद रिपोर्ट के लिए जाना माना जाए, तब भी राघवेन्द्र के घर से थाने की दूरी एफ.आई.आर. में सात किलोमीटर बताई गई है, स्वयं राघवेन्द्र अ.सा.-01 भी पैरा-02 में छः सात किलोमीटर दूरी बताता है।

17. परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य में ऐसा नहीं आया है, कि रिपोर्ट के लिए थाने पर इंतजार करना पड़ा हो, और फिर रिपोर्ट लिखी गई हो, बल्कि राघवेन्द्र अ.सा.-01 के पैरा-03 मुताबिक उसने सात साढ़े सात बजे रिपोर्ट की थी, जबकि प्र.पी.-01 की एफ.आई.आर. रात 11:10 बजे की है, ऐसे में रिपोर्ट के समय को लेकर जो विरोधाभास है उसे साधारण इसलिए नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरोपी/अपीलार्थी की रिपोर्ट पूर्व में हो गई, धमेन्द्र अ.सा.-02 के पैरा-03 मुताबिक भी राघवेन्द्र रिपोर्ट करने शाम सात बजे गया था, और अपने गांव बिरखडी से थाने के लिए शाम साढ़े छः बजे गया था, उसने भी छः सात किलोमीटर की ही दूरी बताई है, उसने स्पष्टतः थाने पर राघवेन्द्र का रात 11 बजे जाने से इन्कार करते हुए, यह कहा है, कि राघवेन्द्र रिपोर्ट करके थाने से 10-11 बजे घर आ गया था, उसके बाद कहीं नहीं गया, ऐसे में रिपोर्ट करने में बिलंब का जो कारण प्र.पी.-01 की एफ.आई.आर. में अंकित किया गया है, उसकी पुष्टि न तो आहत राघवेन्द्र करता है, न ही साक्षी धमेन्द्र करता है।
18. अशोक अ.सा.-04 भी रिपोर्ट को साथ जाना कहता है, जबकि कथानक में ऐसा नहीं है, न ही उसके प्र.पी.-04 के पुलिस कथन में है, वह भी पैरा-05 में राघवेन्द्र का बिरखडी से शाम सात बजे रिपोर्ट लिखाने के लिए जाना, और दस पंद्रह मिनट में थाने पहुंच जाना, थाने पहुंचते ही उसकी रिपोर्ट लिखी जाना बताता है, अर्थात् उसके मुताबिक रिपोर्ट लिखने में कोई बिलंब नहीं किया गया, ऐसे में एफ.आई.आर. बिलंबित होने का जो कारण दिया गया है, वह साक्ष्य से संपुष्ट नहीं है, अर्थात् एफ.आई.आर. बिलंबित है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर निष्कर्ष निकालते समय साक्ष्य का विधिसम्मत मूल्यांकन नहीं किया है, एफ.आई.आर. का बिलंब उस स्थिति में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि आरोपी/अपीलार्थी की रिपोर्ट पहले दर्ज हुई और उसके साथ घटित हुई घटना प्रमाणित हो चुकी है, ऐसे में अ.सा.-01, 02 और अ.सा.-04 के अभिसाक्ष्य में जो विरोधाभास और विसंगतियां उत्पन्न हैं वे तात्त्विक स्वरूप की होकर महत्व रखती हैं और उनका स्पष्टीकरण भी अभिलेख पर नहीं आया है, क्योंकि एफ.आई.आर. लेखक और विवेचक अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराए गए हैं, जो कि आवश्यक थे, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनों साक्षियों को विश्वसनीय मानने में भी गंभीर विधिक त्रुटि की है और साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है।
19. न्याय दृ० विष्णुकुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 1989 भाग-01 काइम्स पेज 203 (राजस्थान उच्च न्यायालय) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, कि बिलंबित एफ.आई.आर. संतोषप्रद स्पष्टीकरण न दिए जाने पर न्यायालय ऐसे बिलंब के आधार पर रिपोर्ट को संदिग्ध मान सकता है, विचाराधीन मामले में भी ऊपर वर्णित अनुसार उक्त न्याय दृ० प्रयोज्य किए जाने योग्य है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिलंबित एफ.आई.आर. के संबंध में न्याय दृ० अमरसिंह विरुद्ध बलबिंदर सिंह ए.आइ.आर. 2003 एस.सी. पैज 1164 में यह प्रतिपादित किया है, कि एफ.आई.आर. में बिलंब हुआ है, या नहीं इसके लिए कोई सामान्य नियम नहीं है, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर निश्चित करना होगा कि क्या रिपोर्ट बिलंबित है, या उसका संतोषप्रद स्पष्टीकरण है, हस्तगत मामले में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए

रिपोर्ट बिलंबित होना और उसका कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण न होना प्रकट होता है, यही पूरे मामले को दूषित कर देता है।

20. राघवेन्द्र अ.सा.-01 की अभिसाक्ष्य से प्र.पी.-01 की एफ.आई.आर. को प्रमाणित मानकर इस तरह से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है, तथा नक्शा मौका प्र.पी.-02 को भी उसके अभिसाक्ष्य से प्रमाणित मानकर इसलिए त्रुटि की गई है, कि नक्शा मौका मुताबिक घटना आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल के खलियान की बताई गई है, जिसे कं0-03 से दर्शाया है, जिसके पास शिवनंदन अशोक और रमाकांत के खलियान लगे हुए बताए हैं, शिवनंदन का मकान भी पास में बताया है, फरियादी राघवेन्द्र या उसके पिता बनवारी लाल का कोई खलियान लगा हुआ नहीं बताया है, बल्कि क्रमांक 02 से रास्ता दर्शाया है, जो बिरखडी को जाने वाले खण्डा रोड से जुड़ा है, जबकि अभियोजन की साक्ष्य में घटनास्थल वाला खलियान फरियादी राघवेन्द्र का बताया गया है, जो प्र.पी.-02 में दर्शित नहीं है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का कण्डिका 12 का निष्कर्ष कतई पुष्टि योग्य नहीं है।

21. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका 13 मुताबिक यह तो माना है, कि धमेन्द्र अ.सा.-02 घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, और वह चक्षुदर्शी साक्षी दर्शित नहीं होता है, किंतु उसके बावजूद उसके कथन को संपोषक साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर स्वभाविक और समर्थनकारी मानकर गंभीर विधिक त्रुटि की है, क्योंकि वह किसी भी रूप में तात्विक विसंगतियों को देखते हुए विश्वसनीय साक्षी नहीं था।

22. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका 17 में यह तो माना है, कि राघवेन्द्र धर्मेन्द्र और अशोक एक ही परिवार को होकर हितबद्धता रखते हैं, किंतु उनके अभिसाक्ष्य को चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित मानकर और तात्विक रूप से पुष्ट मानकार भी गंभीर त्रुटि की गई है, यह सही है, कि भारतवर्ष में **“एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या (Falsus in uno falsus in omnibus)”** का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि अशिक्षा अनुभव हीनता दरिद्रता जैसे कई कारक भारत में साक्षियों को प्रभावित करते हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० उग्र अहीर विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 1965 एस.सी. पैज 277 में अवधारित किया गया है किंतु उक्त न्याय दृ० प्रकरण में इसलिए लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कारक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्लेषित किए हैं, उनमें से कोई भी कारक परीक्षित साक्षी अ.सा.-01, 02 और 04 पर लागू नहीं होता है, बल्कि अशोक के विरुद्ध आरोपी/अपीलार्थी की रिपोर्ट पर दर्ज व प्रमाणित हुए अपराध को देखते हुए उक्त साक्षियों का अतिरंजनापूर्ण तरीके से अभिसाक्ष्य दिया जाना परिलक्षित होता है, जिसे इस बात से भी बल मिलता है, कि साक्षी अशोक के विरुद्ध चले विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/09 के निर्णय दिनांकित 17/01/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.-03 में कण्डिका 10 की टिप्पणी जिसमें राघवेन्द्र के द्वारा मुन्नालाल की रिपोर्ट के तीन घंटे बाद दर्ज कराई गई रिपोर्ट को अशोक के बचाव में पश्चातवर्ती अवस्था में कायम कराई जाने का निष्कर्ष दिया गया है।

- 23.** इस प्रकार से उपरोक्त सकारण साक्ष्य व परिस्थितियों पर आधारित जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, उनसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल को फरियादी राघवेन्द्र की स्वेच्छा मारपीट कर उपहति कारित किए जाने और भयोपरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देने संबंधी अपराध धारा-323 एवं 506 भाग 02 भा.द.वि. की दोषसिद्धि कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, इसलिए दण्डाज्ञा भी विधि विरुद्ध है, और अभियोजन का मामला पूर्णतः संदेहजनक होकर दूषित प्रकृति का पाया जाता है, परिणामस्वरूप आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल की ओर से प्रस्तुत उक्त दाण्डिक अपील उक्तानुसार स्वीकार किए जाने योग्य है, फलतः प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रं 279/09 में दिनांक 25/02/15 में आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल की की गई दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुए, धारा-323 एवं 506 भाग-02 भा.द.वि. के आपराध से उसे दोषमुक्त किया जाता है।
- 24.** आरोपी/अपीलार्थी मुन्नालाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा अर्थदण्ड 1,000/-रुपए विधिवत समयावधि के भीतर वापिस किया जावे, अपील/पुनरीक्षण होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण हो।
- 25.** प्रकरण में निराकरण के लिए कोई सम्पत्ति पेश नहीं है।
- 26.** आरोपी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 27.** निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जावे।
- 28.** निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 16 जनवरी 2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड